

इस अधिनियम को बंगाल के मुख्यमंत्री फजल हुसैन ने कहा कि
'न तो यह हिंदू राज है और न ही मुस्लिम राज'।

इससे पूर्व यह बात स्पष्ट हो गई थी कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली भारत के लिए अहितकर है और सभी राजनैतिक दलों ने इसे एक सिरे से नकार भी दिया था, फिर भी इस अधिनियम के द्वारा न केवल इसे बना रहने दिया गया बल्कि इसका विस्तार भी किया गया। इस अधिनियम में नये संविधान के स्वविकसित होने या भारतीयों द्वारा अपने भाग्य के निर्णय करने का कोई प्रबंध नहीं था।

यह अधिनियम ब्रिटिश संसद ने बनाया था और भारत की आगे की प्रगति का निर्णायक भी ब्रिटिश संसद ही थी।

1935 के अधिनियम के द्वारा भारत पर ब्रिटिश संसद या भारत मंत्री के नियंत्रण में भी कोई कमी नहीं की गई।
भाषद मंत्री सब प्रावधानों को देखते हुए सरहती ने ठीक सी कहा था कि, "भारत सरकार अधिनियम, 1935 में भारत के भविष्य की राजनीतिक प्रगति का कोई कार्यक्रम नहीं है।"

Rajesh K. Singh,
Asst. Prof. (History)
D. S. P. M. U.,

चाहू इतिहास, प्रांतों व देशी रियासतों से मिलाकर होना था, किंतु यह व्यवस्था लागू न हो सकी, क्योंकि प्रस्तावित संधि में भारतीय प्रांतों का सम्मिलित होना अनिवार्य था, परंतु भारतीय रियासतों का शामिल होना रीढ़ पर निर्भर करता था।

5. प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई।
6. अर्मा (वर्तमान में म्यांमार) को भारत से पृथक् कर दिया गया।
7. विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय अतिम न्यायालय नहीं था। अतिम न्यायालय प्रिवी काउंसिल नहीं।
8. इस अधिनियम के द्वारा गृह-संसार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए।
जिन विषयों पर गवर्नर अपने मंत्रियों के सहयोग से कार्य करता था, उसपर उन्होंने भारतभेती के अधिकार को समाप्त कर दिया और साथ ही 'भारतीय परिषद्' को समाप्त कर दिया गया।
9. 1935 के अधिनियम के तहत, एक संघीय न्यायालय एवं 'जिज्व वेक ऑफ इंडिया' की स्थापना की गई।

1935 के अधिनियम का मूल्यांकन

पं. जवाहरलाल ने इस अधिनियम के संबंध में कहा था कि, 'यह अधिनियम दासता का धोषणा पत्र है।'

प्रसुत: यह एक ऐसा अधिनियम था जिसने भारतीयों को शक्ति देने के बदले संपूर्ण शक्ति अंग्रेजों के हाथों में सीमित रखी थी।

इसमें प्रस्तावित संधि की रूपरेखा ऐसी बनायी गई थी जिससे भी प्रकार का वास्तविक विकास अंशतः हो जाये।

रिपोर्ट के आधार पर '1935 का अधिनियम पारित हुआ। 1935 का अधिनियम काफी लंबा एवं जटिल था। इसे 3 जुलाई, 1936 को अधिसूचित रूप से लागू किया गया, किंतु पूर्णरूप से चुनावों के बाद अप्रैल, 1937 ई. में यह लागू हो पाया।

1935 ई. के अधिनियम की विशेषताएं

1935 के अधिनियम में कुल 321 धाराएं एवं 10 सूचियों का समावेश था। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:—

1. केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गयी। संघीय विषयों को दो भागों में संरक्षित एवं हस्तांतरित में विभाजित किया गया। संरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर-जनरल कुछ पार्षदों की सहायता से करता था। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर-जनरल व मंत्रियों से सौंपा गया। मंत्री विधानमंडल के सदस्यों में से चुने जाते थे तथा इसी के प्रति उत्तरदायी होते थे।
2. इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में दो सदस्यों की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडलों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई।
3. इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में महाधिकांश का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को और अधिक बढ़ाकर इसे हरिजनों तक विस्तृत किया गया।
4. इस अधिनियम में एक 'अखिल भारतीय संघ' की व्यवस्था की गई। इस संघ का निर्माण ब्रिटिश भारत के प्रांतों

1935 का भारत शासन अधिनियम

(B.A. - SEMESTER-VI) Paper XIII (13) (Guess Q-9)

1935 के अधिनियम की पृष्ठभूमि

1932 ई० के सविनय अवज्ञा राष्ट्रीय आंदोलन को यद्यपि अंग्रेजी सरकार पत्र का सहारा लेकर कुचलने में सफल हो ही गई किंतु उसे यह अहसास हो गया कि पत्र को नीति के द्वारा राष्ट्रवादी भावनाओं को अधिक दिनों तक दबाया नहीं जा सकता है। अब सरकार भविष्य में ऐसे किसी राष्ट्रीय आंदोलन की संभावना को समाप्त करने के प्रयास पर विचार करने लगी। उसने कांग्रेस को विघटन करने की योजना बनाई। इसी परिप्रेक्ष्य में उसने 1935 ई० का 'भारत शासन अधिनियम' प्रस्तुत किया। क्योंकि कि उसे उम्मीद थी कि संवैधानिक सुधारों के इस अधिनियम से कांग्रेस के सब स्वेच्छे को संतुष्ट एवं औपनिवेशिक प्रशासन में समाहित कर लिया जायेगा तथा राष्ट्रवादी आंदोलन को अपनी दुरि शक्ति को पत्र से समाप्त कर दिया जायेगा। अपनी इसी नीतियों को अमली जामा - पहनाने के लिए ब्रिटिश संसद ने अगस्त 1935 में 'भारत सरकार अधिनियम, 1935' पारित किया।

भारत सरकार अधिनियम - 1935 के पारित होने से पूर्व उसने 'सार्वजन आयोग रिपोर्ट', नेहरू समिति की रिपोर्ट, बिपेन में संपन्न तीन गोलमेड सम्मेलनों में इसे कुछ विचार-विमर्शों से सहायता ली गई। तीसरे गोलमेड सम्मेलन के संपन्न होने के बाद कुछ प्रस्ताव 'स्वेत-पत्र' नाम से प्रकाशित हुये, जिसमें बहस के लिए बिपेन के दोनों सदनों एवं कुछ भारतीय प्रतिनिधियों ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। अन्ततः इस